



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



3 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 695 राँची, शुक्रवार,

24 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-59/2018-23945 (HRMS)--श्री जय कुमार राम, झा०प्र०से०
(तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-287/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर (पलामू) के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-241, दिनांक 02.5.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री राम के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-
(i) वे दिनांक 06.10.2017 से अपने ससुर जी का ऑपरेशन कराने एवं पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिसके कारण प्रखण्ड कार्यालय का कार्य बाधित हुआ। फलतः बाध्य होकर उपायुक्त, पलामू द्वारा ज्ञापांक-910/स्था0, दिनांक 15.12.17 से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्री शिवशंकर पाण्डेय, अंचल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर का प्रभार हेतु आदेश निर्गत करना पड़ा। साथ ही लम्बी अवधि के बाद दिनांक 06.04.18 को योगदान समर्पित किया गया ।

(ii) उप विकास आयुक्त, पलामू के पत्रांक 2343/वि०, दिनांक 14.12.17 के द्वारा सूचित किया गया कि आपके अनुपस्थिति के कारण मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही आपका मोबाईल सं० 8084383406 एवं 9572033323 लगातार बन्द पाया गया ।

(iii) सदर प्रखण्ड मेदिनीनगर अन्तर्गत मनरेगा योजना में माह दिसम्बर, 2017 में लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 23.33 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन, प्रति पंचायत औसत मात्र 14 मजदूरों का नियोजन, 0.69 Active worksite per village तथा PMAY(G) के तहत वर्ष 2016-18 के एक भी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं करना आपके कार्यों के प्रति घोर लापरवाही को परिलक्षित करता है ।

(iv) उपायुक्त, पलामू के कार्यालय के ज्ञापांक 96/स्था० दिनांक 13.02.18 द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई, जो समर्पित नहीं की गई। आपका यह आचरण स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5269, दिनांक-16.07.2018 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री राम के पत्र दिनांक-08.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4156, दिनांक-27.08.2020 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-723, दिनांक-06.12.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है ।

श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2891(HRMS) दिनांक 16.03.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-74, दिनांक 21.04.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित उपायुक्त, पलामू द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब श्री राम द्वारा समर्पित नहीं किये जाने से संबंधित आरोप सं०-4 को विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-3022, दिनांक 25.05.2023 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। श्री राम के पत्र, दिनांक 28.06.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है । श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा निम्नवत् है-

(i) वे औपचारिक रूप से आवेदन देकर अपने ससुर जी के ऑपरेशन कराने हेतु मुख्यालय छोड़े थे और दिनांक 06.10.2017 से 06.04.2018 तक (छः माह) उपार्जित अवकाश में रहे। उनकी अनुपस्थिति अधिकृत अनुपस्थिति थी। इन्होंने अपने आवेदनों से उपार्जित अवकाश बढ़ाने की याचना ससमय करते रहे। इस बीच इनकी पत्नी भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गयी। अपरिहार्य पारिवारिक समस्या के चलते ही उक्त अवधि में ये अपने पद पर योगदान नहीं दे सके। उनकी पत्नी मरणासन्न स्थिति में थी और ये मोबाईल का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे थे। गंभीर पारिवारिक समस्याओं के कारण उनका योगदान करना संभव नहीं हो पाया एवं मजबूरन अवकाश विस्तारित करना पड़ा। जैसे ही उनको समस्याओं से राहत मिली उनके द्वारा योगदान समर्पित किया गया। योगदान के पश्चात् त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन करते हुए लंबित कार्यों को काफी कम कर दिया गया एवं पदस्थापन तक निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किये। अपरिहार्य कारणों से इनको अनुपस्थित रहना पड़ा।

(ii) योगदान के पश्चात् इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए ससमय कार्यों को पूरा कर दिया गया। इनके द्वारा कभी भी मोबाईल बंद नहीं रखा गया, हो सकता है कि तकनीकी कारणों से मोबाईल पर सम्पर्क नहीं हो पाया।

(iii) योगदान के पश्चात् मनरेगा संबंधित कार्यों का त्वरित गति से संपादन करते हुए सभी लंबित कार्यों को ससमय पूर्ण करा दिया गया था।

(iv) उक्त स्पष्टीकरण अवकाश में रहने के कारण इनको नहीं मिल पाया, जिसके कारण उत्तर नहीं दे सके। उनका आचरण सरकारी सेवक आचार नियामवली के प्रतिकूल नहीं है एवं कभी भी उनके द्वारा स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपन से कार्य नहीं किया गया है। अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन किये हैं। अपरिहार्य परिस्थिति के चलते और घोर मानसिक पीड़ा से गुजरते रहने के कारण छः माह ये उपार्जित अवकाश में अधिकृत रूप से रहने से कार्य सम्पादन नहीं कर सके, जिसका खेद है।

श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान में प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों में विरोधाभास है, क्योंकि एक ओर उनका द्वारा कहा जा रहा है कि पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण मोबाईल का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर इनका कहना है कि इनके द्वारा कभी भी मोबाईल बंद नहीं रखा गया, हो सकता है कि तकनीकी कारणों से मोबाईल पर सम्पर्क नहीं हो पाया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोप सं0-4, जो अनधिकृत अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से संबंधित है, प्रमाणित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि वर्तमान में सूचना तंत्र इतना प्रभावी है कि अवकाश के कारण स्पष्टीकरण का

जवाब नहीं दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के इस निर्णय पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा ना ही कोई तथ्य अंकित किया गया है और न ही कोई साक्ष्य ।

अतः समीक्षोपरांत श्री जय कुमार राम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जय कुमार राम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAI KUMAR RAM 110041163130	श्री जय कुमार राम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-287/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर (पलामू) के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
